GOVERNMENT OF INDIA





राजापाडा

Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 47] दिल्ली, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2010, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 5-अग्रहायण 11, 1932 [रा.स्.स्.दि. सं 206, 210, 212] No. 47] DELHI, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2010, THURSDAY/AGRAHAYANA 5—AGRAHAYANA 11, 1932 [N.C.T.D. No. 206, 210, 212]

> भाग—IV PART-IV

भाग-। में सिम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

S nm (Hay

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग अधिसूचना दिल्ली, 26 नवम्बर, 2010

सं. फा. 4/5/2003/गृह (सामान्य)/5451.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू-11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री एच. डी. नौटियाल, पंजीयक, नेशनल कंज्यूमर डिस्पयूट रैडरैसल आयोग को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर, आर. चोपडा, संयुक्त सचिव (गृह) HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 2010

No. F. 4/5/2003-Home(G)/5451.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri H. D. Nautiyal, Registrar of the National Consumer Disputes Redressal Commission to be an Executive Magistrate in the Metropolitan area of Delhi, till he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, R. CHOPRA, Jt. Secy. (Home)

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ अधिसूचना

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

सं. फा. 9 (38)/68/स्था./सह./भाग-1/3701.— दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, श्री फिलिप थॉलएनमांग को उप पंजीयक सहकारी समितियाँ (सेवा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 119 दिनांक 15-04-2010 द्वारा पदनाम बदलने के फलस्वरूप पुन:नामित संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियाँ (सेवा किमान के पर पर उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन कार्य को निपटाने के लिए इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम से,

वी. के . बैनीवाल, विशेष सचीव (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 30th November, 2010

No. F. 9/(38)/68/Estt./Coop./Vol.-I/3701.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules, 2007, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Philip Thanglianmang as Deputy Registrar Cooperative Societies, Delhi (nomenclature changed as Joint Registrar vide Services Department's order no. 119 dated 15-04-2010 as per Delhi Cooperative Societies Act and Rules, to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V. K. BENIWAL, Spl. Secy. (Cooperation)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1504)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6522.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिट्स लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल (इलाहाबाद बैंक के ऊपर), दिरयागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 44,63,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन-कनवर्टीबल, डिबेन्चर (सीरीज वाई एण्ड जेड) जिनकी पृथक संख्या 0144566 से 0149028 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 4,463 (रुपए चार हजार चार सौ तिरेसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 1st December, 2010

No. F. 10(1504)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6522.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor (Above Allahabad Bank), Daryaganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,463 (Rs. Four Thousand Four Hundred Sixty Three) only on the aggregate value of debentures of Rs. 44,63,000 for issue of Secured redeemable Non-Convertible debentures Series 'Y' & 'Z' bearing distinctive No. 0144566 to 0149028 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1502)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./6523.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जल पावर कॉरपोरेशन लि., 405-406, राजा हाउस, 30-31, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 20,95,25,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 117935001 से 138887500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,09,525 (रुपए दो लाख नौ हजार पांच सौ पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1502)/COS(HQ)/Cons. Duty/6523.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling

Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jal Power Corporation Limited, 405-406, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,09,525 (Rs. Two Lac Nine Thousand Five Hundred Twenty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,95,25,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 11,79,35,001 to 13,88,87,500 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1503)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./6524.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 कां 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेसले कलोवर कम्युनिकेशन सोल्यूशनस प्रा. लि., 18, कोटला लेन, राजज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 45,67,840 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 17,16,021 से 21,72,804 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 4,568 (रुपए चार हजार पांच सौ अड़सट) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1503)/COS(HQ)/Cons. Duty/6524.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wesley Clover Communication Solutions Pvt. Ltd., 18, Kotla Lane, Rouse Avenue, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,568 (Rs. Four Thousand Five Hundred Sixty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 45,67,840 for equity share certificates with distinctive Nos. 17,16,021 to 21,72,804 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1506)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/6525.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेटन कम्युनिकेशन सोल्यूशनस प्रा. लि., 18, कोटला लेन, (एलजीएफ) राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 69,19,110 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 68,17,851 से 75,09,761 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6,920 (रुपए छ: हजार नौ सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1506)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6525.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Petan Communication Solutions Pvt. Ltd., 18, Kotla Lane (LGF), Rouse Avenue, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,920 (Rs. Six Thousand Nine Hundred Twenty) only on the aggregate value of shares of Rs. 69,19,110 for equity share certificates with distinctive Nos. 68,17,851 to 75,09,761 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1508)/मु स.(मुख्या.)/स.शु./6526.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अशिमोरी इण्डिया प्रा. लि., 202-206, टॉलस्टॉय हाउस, 15, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 9,95,09,950 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,50,51,506 से 2,50,02,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 99,510 (रुपए निन्यानवे हजार पांच सौ दस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1508)/COS(HQ)/Cons. Duty/6526.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ashimori India Private Limited, 202-206, Tolstoy House, 15, Tolstoy Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 99,510 (Rs. Ninety Nine Thousand Five Hundred Ten) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,95,09,950 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,50,51,506 to 2,50,02,500 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1481)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./08/6527,—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री माण्डवा होल्डिंग्स प्रा. लि., 905, नौवीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 10,00,55,670 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,60,001 से 1,20,65,567 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,00,056 (रुपए एक लाख छप्पन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1481)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6527.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mandava Holdings Private Limited, 905, 9th Floor, Kanchanjunga Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,056 (Rs. One Lac Fifty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,55,670 for equity share certificates with distinctive Nos. 20,60,001 to 1,20,65,567 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1505)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु/6528.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यूं ई डेक्लपमेंट इण्डिया प्रा. लि., 206, मुनीश प्लाजा, 20, अंसारी रोड, फायर स्टेशन के सामने, दिरयागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 16,13,96,100 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,71,59,401 से 2,87,73,361 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,61,397 (रुपए एक लाख इकसठ हजार तीन सौ सत्तानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1505)/COS(HQ)/Cons. Duty/6528.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. U E Development India Pvt. Ltd., 206, Munish Plaza, 20, Ansari Road, Opposite Fire Station, Darya Ganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,61,397 (Rs. One Lac Sixty One Thousand Three Hundred Ninety Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 16,13,96,100 for preference share certificates with distinctive Nos. 2,71,59,401 to 2,87,73,361 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1509)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6529.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनोवोआ होटलस् एण्ड रीसोंटस लि., कमरा सं. 404, क्लोरियन कलेक्शन, शहीद जीतिसह मार्ग, नई दिल्ली–110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 5,66,28,800 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 501–600, 1394701–1444700, 1649701–1655700, 1665701–1678700, 1854920–1974919, 643701–800700, 2169790–2205519, 12220001–12370000,

6492796-8123845, 8123846-11623845 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 56,629 (रुपए छप्पन हजार छ: सौ उन्नतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1509)/COS(HQ)/Cons. Duty/6529.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Inovoa Hotels and Resorts Limited, Room No. 404, Clarion Collection, Shaheed Jeetsingh Marg, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 56,629 (Rs. Fifty Six Thousand Six Hundred Twenty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,66,28,800 for equity shares certificates with distinctive Nos. 501-600, 1394701-1444700, 1649701-1655700, 1665701-1678700, 1854920-1974919, 643701-800700, 2169790-2205519, 12220001-12370000, 6492796-8123845, 8123846-11623845 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1507)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6530.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केसेलेक श्रेडर प्रा. लि., 69, फ्रांडस कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 33,35,280 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9,99,981 से 13,33,508 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3,336 (रुपए तीन हजार तीन सौ छत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1507)/COS(HQ)/Cons. Duty/6530.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Keselec Schreder Private Limited, 69, Friends Colony (West), New Delhi-110065, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,336 (Rs. Three Thousand Three Hundred Thirty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 33,35,280 for equity share certificates with distinctive Nos. 9,99,981 to 13,33,508 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (917)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./6531.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लाईफ इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी.ओ.-II, स्कोप मीनार, नौंवी मंजिल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपए 2,30,00,000 (रुपए दो करोड़ तीस लाख) जो कि उनके द्वारा 01 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्ता होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जो कि चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

F. No. 10(917)/COS(HQ)/Cons. Duty/6531.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp, Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Life Insurance Corporation of India, D.O.-II, Scope Minar, 9th Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,30,00,000 (Rs. Two Crore Thirty Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period 1st January, 2011 to 31st March, 2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा. 10 (502)/मु. स.(मुख्या,)/स.शु./6534.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिवान चन्द मैडिकल सर्विसेज प्रा. लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(502)/COS(HQ)/Cons. Duty/6534.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Medical Services Pvt. Ltd., 10-B, K.G. Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)